

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख :

2017

अधिसूचना

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (समूह -g) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में गैस पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गैस पर्यवेक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहता : वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अधीक्षक समिति में वेतन मैट्रिक्स में स्तर	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गैर पर्यवेक्षक	01 *	साधारण केंद्रीय सेवा समूह परिवर्तन किया जा सकता है।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 रूपये 19900-63200) (आरजपत्रित) अनुनामितीय	लागू नहीं	18-25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या अदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अध्यार्थियों की दशा में आयु में पाँच वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए केंद्र सरकार के अनुदेशों के अनुसार छुट दी जा सकती है।

टिप्पणी 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अध्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांची उपखंड, अदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्मदग्धीष संघ राज्य के अध्यार्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे अर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएँ	सीधे अर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवेक्षा की अवधि यदि कोई हो।
अनिवार्य	(7)	(8) लागू नहीं (9) दो वर्ष
1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास 2. मान्यता प्राप्त संस्थान या संगठन से बॉयलर अटेंडेंट में प्रमाणपत्र कोर्स।	वांछनीय : अधिमानतः अस्पताल में बॉयलर चलाने का एक वर्ष का अनुभव।	

अर्ती की पद्धतिः अर्ती सीधे होगी या प्रोन्नतः प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिः आमेलन द्वारा अर्ती की दशा में के शणियां जिनसे प्रोन्नति या द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विजिन्न पद्धतियों द्वारा अर्ती जाने वाली विकित्यों की प्रतिशतता	(10)	(11) लागू नहीं
--	------	----------------

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	अर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पुस्टि समिति	लागू नहीं होता ।

अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली
उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी - अध्यक्ष
उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली - सदस्य
उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली - सदस्य

[फा० सं० ए. 11018/12/2016एमएच ॥]

(संजय पंत)
अवर सचिव, भारत सरकार